Fourteenth Loksabha

Session : 7

Date : 20-03-2006

Participants : Varma Shri Ratilal Kalidas,Kathiria Dr. Vallabhbhai,Mistry Shri Madhusudan Devram,Mahajan Smt. Sumitra

an>

Title : Regarding the difficulties being faced by the Sindhi migrant doctors from Pakistan in securing Indian citizenship and licence to practice in India.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही मानवीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। हम सभी को ज्ञात है कि भारत-पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में जो हिन्दू माइनौरटीज़ हैं, वे धीरे-धीरे भारत में वापस आने लग गये हैं। उनमें से कई सिन्धी डाक्टर्स ऐसे हैं जो हिन्दुस्तान में और विशेाकर मेरे क्षेत्र में आकर बसने लगे हैं। उन लोगों के पास वीज़ा था,यहां तो आ गये. लेकिन यहां की नागरिकता एकदम नहीं मिलती, 7-8-9 साल लग जाते हैं और कुछ तो पिछले 10-15 साल से नागरिकता के लिये प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रही है। इस बीच में एक समस्या और आती है कि जो व्यक्ति यहां पिछले 7-8 साल से रह रहा हो, वह क्या खायेगा? वह अपनी

प्रेक्टिस वहां छोड़कर यहां आते हैं लेकिन उन लोगों को यहां प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं मिलती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रैक्टिस नही मिलनेके कारण उनके यहां छापे डाले जाते हैं और उन्हें

'क्वैक डाक्टर्स' मानकर बंद कर दिया जाता है। अगर विरोध करते हैं तो उन्हें ज़लील होना पड़ता है।

उपाध्यक्ष जी, मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने सन् 2003 में ऐसी गाईडलाइन्स निकाली हैं जिसके अनुसार यदि किसी डाक्टर ने प्रैक्टिस करनी हो तो उसे दुबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। मेरा कहना है कि जो 10-15 साल से सिन्ध यूनिवर्सिटी, जो पहले मुम्बई से एटैच रही हो लेकिन देश अलग बनने के बाद अलग हो गई हो तो उसे दूसरे देश में मान्यता मिली हुई है, हिन्दुस्तान में नहीं है। यदि उसे दुबारा परीक्षा देनी पड़ जाये तो मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह कट ऑफ डेट 2003 के बाद उन लोगों के लिये लगाई जा सकती है लेकिन उससे पहले जो डाक्टर्स आए हुए हैं, जिनमें से किसी ने 1990 में पास किया है, किसी ने 1995 में पास किया है, ऐसे डाक्टर्स यहां आकर रह रहे हैं। इस संबंध में मेरा पहला निवेदन यह है कि इनको परीक्षा से छूट मिलनी चाहिए और उनको तुरंत प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लॉंग टर्म वीज़ा पर जब वे यहां आते हैं तो तुरंत उनके लिए एक वर्क परमिट इश्यू कर सकते हैं कि टैम्पोरेरी प्रैक्टिस करें क्योंकि नागरिकता मिलने में सातःआठ साल लग जाते हैं। कई दूसरे प्रदेशों में मैंने सुना है कि राजस्थान या गुजरात में वहां की सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे अनुमति दे सकते हैं और इनको नागरिकता भी दे सकते हैं। यदि मध्य प्रदेश में भी यही व्यवस्था हो जाए तो इनको बहुत सुविधा होगी। इन डाक्टर्स की जो समस्या है, उसका मानवीयता के आधार पर समाधान करने की दृटि से उनको तुरंत नागरिकता दी जानी चाहिए। एक तरफ घुसपैठियों के जत्थे के जत्थे हमारे देश में आते हैं और उन लाखों लोगों के नाम हम मतदाता सूची में शामिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे सिन्धी डाक्टर्स जो बेचारे वहां माइनॉरिटी में होने के कारण तकलीफ में यहां आते हैं, उनकी समस्या हम दस सालों तक नहीं सुलझा पाते हैं। यह उनके लिए बहुत कठिनाई की बात है और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि उन डाक्टर्स को यहां प्रैक्टिस करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : मैं भी इस मांग से अपने को असोसियेट करता हूं।

डॉ. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : मैं भी असोसियेट करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : मैं भी असोसियेट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है, मैं सबको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा।

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

(Interruptions) *